न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 10 / 2024
निर्णय दिनांक : 01.02.2024
GCMS NO : 2024/17

1. भंवर सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
2. किशोर सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जाति राजपूत निवासी ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

...............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. वादीगण उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 245 तादादी 1.4668 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तथा खाता संख्या नया 235 रोही ग्राम शोभासर पटवार हल्का शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसको वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें वादीगण का नाम मनसिंह / मनुसिंह पुत्र पृथ्वीसिह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह तथा सूरसिह पुत्र पृथ्वीसिह हैं जो गलत चला आ रहा है जबकि वादीगण के दस्तावेजात में सही व शुद्ध नाम क्रमशः मनसिंह / मनुसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह तथा सूरसिह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नाम है।

यह कि वादगत खेत रोही ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा में अंकित खेत खसरा 245 तादादी 1.4668 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 235 रोही ग्राम शोभासर पटवार हल्का शोभासर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन व भूलवश मद संख्या 01 के अनुसार गलत दर्ज हो गया जबकि वादीगण स्वयं के सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई डी, राशन कार्ड में वादीगण का नाम मनसिंह / मनुसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह तथा सूरसिह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर किशोर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह अंकित होने के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

साथ–साथ रोही शोभासर के खसरा संख्या 1397/1203 रकबा 0.3667 हैक्टेयर में वादीगण के नाम सही व सत्य हैं इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में वादगत खेत की खातेदारी में वादीगण का नाम व पता गलत अंकित रहने से सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं जिससे सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में भी वादीगण.को नाम की परेशानी आ रही है जिससे वादीगण को अपूर्तिय क्षति हो रही है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वह वादगत खेत की खातेदारी में अपना नाम अपने दस्तावेजात अनुसार करवाने का कानूरी अधिकारीगण हैं।

यह कि वाद वादीगण रिकॉर्ड दुरस्ती का है तथा वादगत खेत की भूमि रोही ढाणी गोविन्दपुरा तथा रोही शोभासर तहसील सुजानगढ़ में स्थित है इसलिए इस वाद को सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीगण का नाम मनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वींसिह तथा सूरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम क्रमशः भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वींसिह तथा किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह है। अतः वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वींसिह तथा किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वींसिह तथा किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह अंकित है। कार्यालय ग्राम पंचायत शोभासर पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र ने भी वादीगण का नाम भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वींसिह तथा किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह होना प्रमाणित किया है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, सरपंच ग्राम पंचायत शोभासर पंचायत समिति सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 245 रकबा 1.4668 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाणी गोविन्दपुरा में दर्ज मनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह तथा सूरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा खेत खाता संख्या 235 नया वाके रोही शोभासर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज मनुसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा सूरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री रमेश कुमार आर.ए.एस**

भंवरसिंह आदि बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 10 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री वादीगण एड. मिनजानिब मुद्दई . . मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 245 रकबा 1.4668 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा में दर्ज मनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह तथा सूरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा खेत खाता संख्या 235 नया वाके रोही शोभासर तहसील सुजानगढ़ में दर्ज मनुसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, सुन्दरसिंह पुत्र पृथ्वीसिह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा सूरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर किशोरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01. **माह 02. 2024**

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये